न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 81/24 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2024/311

1. श्रीमती भागवन्ती पत्नी दिलीप सोनी निवासी वार्ड नम्बर 12 फतहनगर तहसील मावली।

.................प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का मोरठ तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री मनीष कुमार तम्बोली, अधिवक्ता प्रार्थीया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 17.01.2025

1. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा गिरधारीपुरा पटवार हल्का मोरठ तहसील मावली की आराजी नम्बर 305 रकबा 0.2428 हेक्टेयर उपरोक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ प्रार्थीया के नाम सम्पूर्ण हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज हैं। आराजी नम्बर 469/305 रकबा 0.2428 हेक्टेयर आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ प्रार्थीया के नाम सम्पूर्ण हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज हैं।
2. यह कि मुझ प्रार्थी के आराजी के दक्षिणी पडौस में आम रास्ता जो कि विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी नम्बर 381 रकबा 0.0211 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अर्थात् विपक्षी संख्या 1 हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि के पडौसी हैं।
3. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के दक्षिणी पडौस में आम रास्ता जो कि विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी से दर्ज है। मुझ प्रार्थीया के कृषि भूमि की सीमा के स्थाई निशान क्षत–विक्षत होने से सीमा बाबत् विवाद रहता है और मुझ प्रार्थीया के कृषि भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने और हमारे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा होता है तथा हमारी बाड व बाडे में ख[illegible] को भी नुकसान होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:41:35 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि मैं प्रार्थीया अपनी खातेदारी की उक्त जमीन पर काबिज हूं और परिवारजन सहित शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रही हूं लेकिन विपक्षी संख्या 1 जो कि आम रास्ता है से सीमा को लेकर विवाद है एवं तथा बाड एवं बाड में खडे वृक्षों को भी नाजायज तरीके से नुकसान होता है इसलिए मुझ प्रार्थीया को उक्त कृषि भूमि की दक्षिण दिशा की सीमा की पत्थरगढी कराना जरूरी हो गया है। इसलिए मुझ प्रार्थीया की ओर से माननीय न्यायालय आपमें यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने मेरे हिस्से कब्जे की कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद किया तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व निम्न आशय का आदेश फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की दक्षिण दिशा की सीमा की पत्थरगढी कराई जाकर सीमाकंन कराया जावे तथा विपक्षी संख्या 1 को पाबंद किया जावे कि वो मुझ प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, वृक्ष नहीं काटे और शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावे। साथ ही हमारी खातेदारी की भूमि विपक्षी संख्या 1 के कब्जे में पायी जावे तो उसका कब्जा भी हमको दिलाया जावें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब नहीं देना चाहकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

8. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा गिरधारीपुरा पटवार हल्का मोरठ तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 103 पर दर्ज आराजी नम्बर 305 रकबा 0.2428 हेक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 139 पर दर्ज आराजी नम्बर 469/305 रकबा 0.2428 हैक्टयर भूमि की प्रार्थीया तन्हा खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थीया के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहती है। चुंकि प्रार्थीया उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, ऐसे में अपनी खातेदारी की भूमि का पत्थरगड़ी करवाने का प्रार्थीया का पूर्ण अधिकार है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.03.07 14:41:35 IST
Reason: SelfAttested

9. अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा गिरधारीपुरा पटवार हल्का मोरठ तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 103 पर दर्ज आराजी नम्बर 305 रकबा 0.2428 हेक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 139 पर दर्ज आराजी नम्बर 469/305 रकबा 0.2428 हैक्टयर भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थीया एवं चारो और के पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थीया मौके पर अदा करें।
10. तहसीलदार घासा को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
11. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:41:35 IST
Reason: SelfAttested